



राजस्थान सरकार

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग  
(पंचायती राज)

क्रमांक : एफ 4 ( ) परावि./पीसी/EU-SPP/2011/वार्ट फाइल/565 जयपुर, दिनांक : 30.3.15

(प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति संख्या - 69 / 2014-15)

वित्त, आय-व्ययक अनुभाग की स्वीकृति क्रमांक प4(211)वित्त-1(1)आय.व्य/2013 जयपुर दिनांक 24.3.2015 एवं जल संसाधन आयोजना विभाग, जयपुर की प्रशासनिक स्वीकृति क्रमांक एफ/एस.डब्ल्यू.आर. पी.डी./लेखा/ई.यू.-एस.पी.पी/2014-15/1159 जयपुर दिनांक 17.3.2015 द्वारा यूरोपियन यूनियन राज्य सहभागिता कार्यक्रम के तहत प्रोग्राम स्टेयरिंग कमेटी द्वारा वर्ष 2014-15 के अनुमोदित एक्शन प्लान के अन्तर्गत स्ट्रेथनिंग ऑफ ट्रेनिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर एण्ड एक्सटेंशन ऑफ ट्रेनिंग फेसिलिटीज आई.जी.पी.आर.एस. को सम्पादित कराने हेतु शासन सचिव एवं आयुक्त, पंचायती राज विभाग, राजस्थान जयपुर को उक्त गतिविधि हेतु राशि रु. 4,00,00,000/- (अक्षरे राशि रुपये चार करोड मात्र) इन्दिरा गांधी पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास संस्थान, जयपुर को भुगतान किये जाने किये जाने के संबंध में आहरण एवं वितरण के अधिकार प्रदान किये गये है। अतः महानिदेशक, इन्दिरा गांधी पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास संस्थान, जयपुर को राशि रु. 4,00,00,000/- (अक्षरे राशि रुपये चार करोड मात्र) का भुगतान निम्न मद से किये जाने की स्वीकृति एतद् द्वारा प्रदान की जाती है। इस राशि का विकलेय मद निम्न प्रकार है :-

मांग संख्या - 46

बजट मद

- 4702 - लघु सिंचाई एवं पूंजीगत परिव्यय  
800 - अन्य व्यय  
(09) - राज्य भागीदारी सिंचाई कार्यक्रम  
[01] - निर्माण कार्य  
17 - वृद्ध निर्माण कार्य (आयोजना)

राशि रुपये 400.00 लाख  
(अक्षरे राशि रुपये चार करोड मात्र)

(राजेश यादव)

शासन सचिव एवं आयुक्त

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. महालेखाकार, (लेखा एवं हक) राजस्थान जयपुर।
2. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (व्यय-3) विभाग।
3. संयुक्त शासन सचिव, जल संसाधन विभाग।
4. उपशासन सचिव, आयोजना विभाग।
5. मुख्य अभियन्ता, राज्य जल संसाधन आयोजना विभाग जे.एल.एन. मार्ग, जयपुर।
6. निजी सहायक, शासन सचिव एवं आयुक्त, पंचायती राज विभाग।
7. वित्तीय सलाहकार, मुख्यालय।
8. आहरण एवं वितरण अधिकारी, मुख्यालय को प्रेषित कर लेख हैं कि उपरोक्तानुसार स्वीकृति में वर्णितानुसार राशि का आहरण कर इन्दिरा गांधी पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास संस्थान, जयपुर के ओ.बी.सी. बैंक, दवाज नगर शाखा के खाता संख्या 10332010004870 के माध्यम से भुगतान की कार्यवाही करावें।
9. कोषाधिकारी, कोष कार्यालय, सचिवालय, जयपुर।
10. सांख्यिकी/अंकमिलान/संकलन/रक्षित पत्रावली।

अधिसापी अभियन्ता (टी.सी.)